



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1946 (श10)

(सं0 पटना 902) पटना, वृहस्पतिवार, 12 सितम्बर 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 सितम्बर 2024

एस०ओ० 450, दिनांक 12 सितम्बर 2024—बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 की धारा-1 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, "बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024" के प्रावधानों को 15 सितम्बर, 2024 से 14 मार्च, 2025 तक (छः माह) की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-01/2024-3986)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 सितम्बर 2024

एस०ओ० 450 दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-01/2024-3986)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 12th September 2024

S.O. 450, dated 12 September 2024—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 1 of The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024, the Governor of Bihar is pleased to extend the provisions of "The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2024" for the period (six months) from 15th September, 2024 to 14th March, 2025.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-01/2024-3986)]

**By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum- Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 902-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>